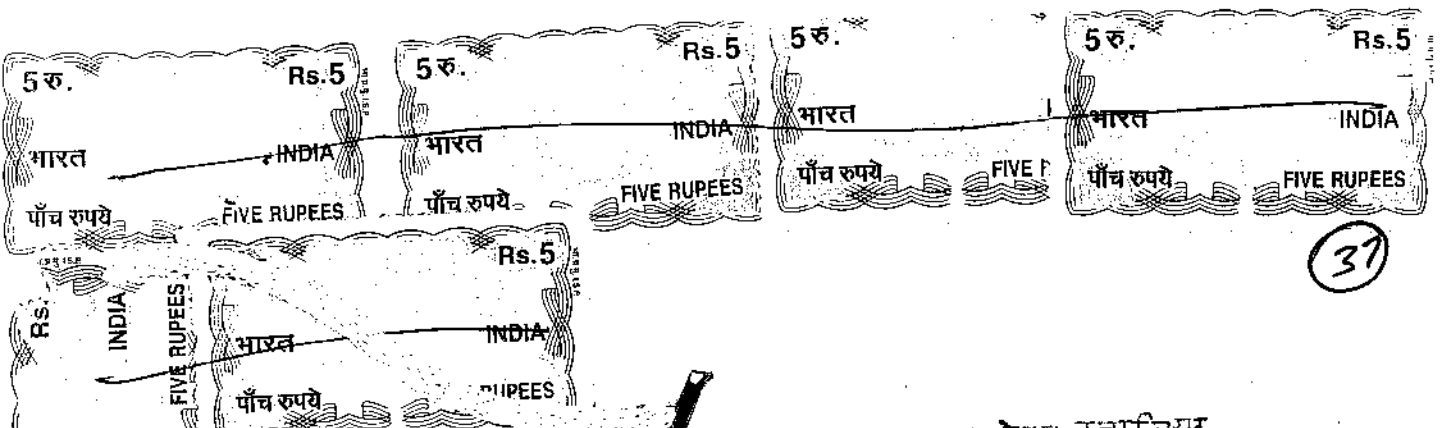

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(37)

माननीय न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R1577/II/16 /2016 निगरानी

मु0 पुष्पा देवी पत्नी स्व. हुकेन्द्र सिंह,

निवासी - ग्राम विण्डवा, तहसील पोरसा जिला

मुरैना — निगरानीकर्ता

दिनांक 23-5-16 को श्री एस. एस. परमार अभि० द्वारा प्रस्तुत। 23-5-16 SO

बनाम

रामसिया सिंह, राजेन्द्र सिंह, बीरेन्द्र सिंह, पुत्रगण बाबूसिंह, मुख्त्याराम सत्यवती बेवा पत्नी बाबूसिंह जाति ठाकुर निवासी विण्डवा तहसील पोरसा

जिला मुरैना — रेस्पोंडेन्ट

श्रीमती विमला अर्गल 1868 ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 13.5.2016 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह कैम्प पोरसा, के प्रकरण क्रमांक 67/08-09/अ-मा. मौजा विण्डवा, व उनवान रामसिया सिंह, आदि बनाम मु. पुष्पादेवी आदि मे निगरानी कर्ता श्रीमती पुष्पादेवी द्वारा एक आवेदन धारा 32 म प्र 0 भू राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया जो निरस्त कियाहै जिससे व्यथित होकर निगरानी प्रस्तुत है।

= =

माननीय न्यायालय

निगरानी कर्ता / रेस्पोंडेन्ट की ओर से आवेदन पत्र

निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

निगरानीकर्ता के ... इस प्रकार है कि मौजा विण्डवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

R-1577-I/16

प्रकरण कमांक निगरानी 1577-I/16 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
25-5-16	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस. एस. परमार उपस्थित होकर उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अंबाह जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 67/08–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 13.5.16 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–32 के अंतर्गत प्रस्तुत की है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम विण्डवा में स्थित भूमि सर्वे कमांक 130 रकवा 0.293 है0 1/2 भाग पर ग्राम पंचायत के नामांतरण पंजी कमांक 22 पर दिनांक 5.10.07 को नामांतरण आदेश दिनांक 28.2.08 आवेदिका के पक्ष में स्वीकार किया जाकर पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में अमल किया गया तथा विवादित भूमि पर आवेदिका काबिज होकर भूमि पर खेती करती चली आ रही है। अनावेदक रामसिया आदि ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है जिसमें नियत पेशी 22.5.16 थी। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।	

3- आवेदिका के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अधीक्षक भू-अभिलेख मुरैना के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जो इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है । अंत में निवेदन किया है कि प्रकरण ग्राह्य किया जाकर अभिलेख आहूत किया जावे एवं अनावेदक को सूचना दी जावे।

4- मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमों का अवालोकन करने पर पाया कि उनके द्वारा वही तथ्य दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में अंकित है ।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचारोपरांत तथा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका का अवलोकन उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी अंबाह को उक्त प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार है । तथा अभी प्रकरण गुणदोषों पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी अंबाह के न्यायालय में प्रचलनशीन है तथा उसमें तारीख पेशी नियत है । अभी आवेदिका को पूर्ण सुनवाई का अवसर तथा अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है पक्षकार सूचित हों ।

सदस्य